बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

::आदेश::

पटना, दिनांक ....

विभागीय अधिसूचना संचिका संख्या–07/मु0–01–153/2026–..2139..../ सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–839/2025 मोनु कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–31.03.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विज्ञापन सं0–22/2024, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा (TRE–3) के अन्तर्गत वर्ग 1–5 सामान्य के अन्तर्गत 08 अभ्यर्थियों एवं वर्ग 6–8, सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत 2 अभ्यर्थियों का परीक्षाफल प्रकाशित की गयी।

आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या–22/2024, विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा (टी0आर0ई0–03) के आधार पर सभी वर्गो/विषयों के परीक्षाफल पूर्व में प्रकाशित कर सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा शिक्षा विभाग को की गई थी, जिसके आलोक में उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी की जा चुकी है।

उल्लेखनीय है कि आर्थिक अपराध ईकाई द्वारा उक्त प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में दायर आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या–06/2024 में कुछ अभ्यर्थियों को अभियुक्त बनाया गया था। आयोग द्वारा नामजद अभियुक्तों/अभयर्थियों से संबंधित मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन होने के कारण वैसे अभ्यर्थियों का परीक्षाफल लंबित रखते हुए शेष अभ्यर्थियों के परीक्षाफल प्रकाशित करने की अनुशंसा की गई थी।

वैसे अभ्यर्थियों के संबंध में प्रकाशित परीक्षाफल एवं विभाग को प्रेषित अनुशंसा में अंकित था कि– तारांकित क्रम संख्या के अभ्यर्थियों का परीक्षाफल आर्थिक अपराध ईकाई द्वारा आयोग की परीक्षा के संबंध में दायर आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या–06/2024 में अभियुक्त बनाये जाने के कारण सील्ड कवर किया गया है, जिसका प्रकाशन संबंधित वाद के निष्पादन के पश्चात् किया जायेगा।

इस मामले से संबंधित 09 अभ्यर्थियों द्वारा अपना परीक्षाफल प्रकाशित किए जाने के बिन्दु पर माननीय उच्च न्यायालय में विषयांकित याचिका दायर की गई, जिसमें दिनांक–31.03.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में आयोग द्वारा उक्त 10 अभ्यर्थियों का अनुशंसा की गई है, जिसमें 01 अभ्यर्थी सुश्री/श्रीमति रिया कुमारी का नाम क्रम संख्या–08 में वर्ग 1–5 में तथा क्रम संख्या–09 में वर्ग 6–8 में अनुशंसा की गई।

उक्त अनुशंसा के आलोक में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–839/2025 मोनु कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के याचिकाकर्त्तागण द्वारा विभाग को अभ्यावेदन समर्पित करते हुए काउन्सिलिंग/विद्यालय में योगदान कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

1. वैसे विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी जिनका जिले द्वारा Verification/Counselling किया जाना है। वैसे अभ्यर्थियों को Verification/Counselling के लिए उन्हें आवंटित जिला में उपस्थित होना है।

2. ऐसे सभी विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों का Verification/Counselling उनके आवंटित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चयनित स्थल पर किया जायेगा। यह Verification/Counselling दिनांक 26.07.2026 को सम्पन्न किया जाएगा।

3. निर्धारित दिवस को Verification/Counselling का कार्य पूर्वाह्न 09:00 बजे से प्रारंभ होगा एवं अपराहन 5:00 बजे तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

4 Verification/Counselling से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश (अभ्यर्थी के लिए):–

निर्धारित तिथि को Verification/Counselling हेतु उपस्थित होने वाले अनुसंशित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित कागजातों को प्रस्तुत किया जायेगा :–

(i) बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का मूल प्रवेश–पत्र एवं उसकी एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

(ii) मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति ।

(iii) सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाईट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो, की एक–एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति ।

(iv) TET उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाईट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

(v) पासपोर्ट साईज का तीन फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाईन / ऑफलाईन जमा किया गया था।

(vi) आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण–पत्र एवं उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाईट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

(vii) अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक्ड मोबाईल नं० के साथ उपस्थित होंगे। साथ ही अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति भी साथ लायेंगे।

5 जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु अनुदेश :–

(i) Verification/Counselling स्थल पर आवश्यक संख्या में काउंटर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था।

(ii) निर्धारित काउंटर पर पर्याप्त संख्या में पदाधिकारियों/कर्मियों का प्रतिनियोजन।

(iii) काउंटर पर आवश्यक उपकरणों, यथा–कम्प्यूटर, स्कैनर, प्रिन्टर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट की व्यवस्था आदि सुनिश्चित करना।

(iv) कांउसिलिंग स्थल पर अभ्यर्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में कुर्सी एवं पेयजल इत्यादि की व्यवस्था।

(v) Verification/Counsellingकराने हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/कार्यक्रम पदाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय दल का गठन।

(vi) Verification/Counselling स्थल पर शांति एवं विधि–व्यवस्था बनाए रखने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी से अनुरोध कर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कराना।

(vii) प्रवेश के दौरान अभ्यर्थियों का फोटोग्राफ लिया जायेगा।

(viii) Verification / Counselling में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक जॉच कराना।

(ix) बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित विद्यालय अध्यापक द्वारा समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे, जो बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाईट पर अपलोड एवं वाटरमार्कड हो।

(x) किसी अनुशंसित अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाईटल एवं मैट्रिक प्रमाण–पत्र में नाम के टाईटल में परिर्वतन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम एवं टाईटल को सही मानते हुए सत्यापन किया जायेगा।

(xi) Verification / Counselling पंजी एवं अन्य सभी अभिलेखों पर गठित दल के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

(xii) जाँच के क्रम में चार स्थिति उत्पन्न हो सकती है :–

(a) Verification / Counselling के दौरान प्रमाण–पत्र मिलान के पश्चात् सही पाया गया।

(b) Verification / Counselling के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात् संदेहास्पद पाया गया।

(c) Verification / Counselling के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात् प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया।

(d) Verification / Counselling के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा।

7. उपरोक्त क्रमांक xii(a)से xii(c) के अनुसार पाये गये प्रमाण पत्रों को सील बन्द बक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी को Verification / Counselling दल द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

उपरोक्त क्रमांक xii(b) में वर्णित परिस्थिति में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को अन्तिम मौका देते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा एक तिथि निर्धारित किया जायेगा।

8. अगर किसी अनुशंसित अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र संदेहास्पद / फर्जी पाया जाता है तो इसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई हेतु अलग से दिशा–निर्देश जारी किया जायेगा।

9. Verification / Counselling स्थल पर अभ्यर्थियों के Verification / Counselling की विडियोग्राफी करायी जायेगी।

10. Verification / Counselling में सफल अभ्यर्थियों का पदस्थापन प्रतिकूल छात्र–शिक्षक अनुपात वाले विद्यालयों में किया जाएगा।

(कुमार निशांत विवेक)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07/मु0–01–153/2026.........2139.............. **पटना, दिनांक** ....20/07/26..................

प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. प्रभारी पदाधिकारी, कमाण्ड एण्ड कंट्रोल, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4 आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07/मु0–01–153/2026.........2139.............. **पटना, दिनांक** ....20/07/26..........

प्रतिलिपिः– M/S Innovatiview India Ltd, Regd. Office: A-82, Basement Girdhari Lal Goshwami Marg, Naraina Industrail Area, Phase 1 New Delhi-110028 को इस निदेश के साथ प्रेषित कि Biometric Verification (Digital Fingerprint Capturing & Facial Recognition) का सत्यापन कर ई–शिक्षाकोष/काउन्सिलिंग पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अनुलग्नकः– BPSC द्वारा अनुशंसित 10 अभ्यर्थियों **की सूची।**

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

CWJC No 839/2025, Monu Kumar & Ors. Vs. State of Bihar & Ors. में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–31.03.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विज्ञापन सं0–22/2024, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा (TRE-3.0) के अन्तर्गत वर्ग–1–5 अन्तर्गत 8 उम्मीदवारों एवं वर्ग 6–8 सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत 2 उम्मीदवारों की बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची।

Sl. No.	CLASS	Subject	Merit Serial	Roll No	Name	Gender	Category in which successful and Sl.No in Resut#	Allotted District
1	1 to 5	General	2185	640375	KUMAR SUDHANSHU ROY	MALE	UR-2185	Nawada
2	1 to 5	General	3543	787776	JATA SHANKAR KUMAR	MALE	UR-3543	Samastipur
3	1 to 5	General	6663	789457	SAMARJEET	MALE	EBC-146	Khagaria
4	1 to 5	General	15912	840659	PRAVIN KUMAR	MALE	EBC-705	Samastipur
5	1 to 5	General	22716	834008	MONU KUMAR	MALE	EBC-1238	Kaimur
6	1 to 5	General	86084	845318	AMITABH KUMAR	MALE	SC-2534	Nawada
7	1 to 5	General	90625	836243	ROHIT KUMAR	MALE	SC-2938	Sheikhpura
8	1 to 5	General	42480	609808	RIYA KUMARI	FEMALE	BCL-506	Munger
9	6 to 8	Social Science	4081	609808	RIYA KUMARI	FEMALE	UR-1410	Banka
10	6 to 8	Social Science	7162	709218	SONI KUMARI	FEMALE	BC-267	Araria

(कुमार निशांत विवेक)
निदेशक, प्राथमिक, शिक्षा